CONTEMPT OF COURT ACT (1971)

न्यायालय की अवमानना

MJMC/SEM 4/PAPER 402

Presented by

Dr. Archana Bharti

Guest Faculty, MMHA&PU Patna

Date – 24/04/2020

न्यायालय की अवमानना

- भारतीय संविधान के अनुसार न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। यह संघ एवं राज्य की विधियों को देख–रेख करने का काम करती है।
- न्यायपालिका और मीडिया के बीच गहरा संबंध है। किसी अपराध का अंतिम निर्णय न्यायालय में ही किया जाता है, अतः पत्रकारों को अक्सर न्यायालयों से रिर्पोटिंग करनी पड़ती है।
- न्यायालय की रिर्पोटिंग करते समय सावधानी बरतनी पड़ती है।

न्यायालय की अवमानना

- किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय की अवहेलना करना या निरादर करना न्यायालय की अवमानना कहलाता है। यह एक अपराध है।
- इस अधिनियम में अवमानना को **'सिविल'** और **'आपराधिक'** अवमानना में बांटा गया है।
- **सिविल अवमानना**– न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश, रिट अथवा अन्य किसी प्रक्रिया की जान बूझकर की गई अवज्ञा या उल्लंघन करना न्यायालय की **सिविल अवमानना** कहलाता है।

न्यायालय की अवमानना

- **आपराधिक अवमानना** – न्यायालय की आपराधिक अवमानना का अर्थ न्यायालय से जुड़ी किसी ऐसी बात के प्रकाशन से है, जो लिखित, मौखिक, चिन्हित, चित्रित या किसी अन्य तरीके से न्यायालय की अवमानना करती हो।
- न्यायिक प्रक्रिया में किसी प्रकार के हस्तक्षेप या उसे बाधित करने की कोशिश करना न्यायालय की अवमानना हो सकती है।

न्यायालय की अवमानना के लिए दंड का प्रावधान

- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को अदालत की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।
- यह दंड साधारण कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा।
- उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्राप्त है।

न्यायालय की अवमानना अधिनियम की आवश्यकता

- न्यायालय का अवमानना अधिनियम, 1971 का उद्देश्य न्यायालय की गरिमा और महत्व को बनाए रखना है।
- अवमानना से जुड़ी हुई शक्तियां न्यायाधीशों को भय, पक्षपात और भावना के बिना कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करती है।

संविधान से संबंधित अनुच्छेद

- **अनुच्छेद 129:** सर्वोच्च न्यायालय को स्वंय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देता है।
- **अनुच्छेद 142 (2)** अवमानना के आरोप में किसी भी व्यक्ति की जांच तथा उसे दंडित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है।
- **अनुच्छेद 215** : उच्च न्यायालयों को स्वंय की अवमानना के लिए दंडित करने में सक्षम बनाता है।

न्यायालय की अवमानना अधिनियम

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) में बोलने ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूलभूत अधिकार के रूप में मान्यता देता है। इसके दायरे में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है।

- संविधान के अनुच्छेद 19 की उप–धारा (2) भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध को उकसाने के संबंध में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।

धन्यवाद